स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

Rajasthan Legal Service Council Jaipur

कार्यालय :- कमरा नं. 5012, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

आशा शर्मा
अध्यक्ष
9413904807,9664281075

क्रमांक : राज.वि.से.प./ 12

दिनांक 05/06/2026

श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :- **वर्ष 2026-2027 की नियमित विभागीय पदोन्नति समिति हेतु सहायक विधि परामर्शी के पद से उप विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में 1 वर्ष का शिथिलन दिये जाने बाबत।**

सन्दर्भ :- **कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 07.01.2020 एवं दिनांक 21.06.2022 के क्रम में।**

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा का गठन वर्ष 1981 में हुआ था। सेवा के गठन के समय से ही राजस्थान विधि सेवा के अधिकारीगण राजकीय वादकरण संबंधी समस्त कार्य, निर्वचन एवं विधिक मामलों में राय संबंधी कार्य पूरी निष्ठा से सफलतापूर्वक निष्पादित कर रहे हैं।

वर्तमान में विधि सेवा नियमों के तहत पदोन्नति हेतु कार्यानुभव की अवधि निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पदोन्नत पद	कार्यानुभव
1.	उप विधि परामर्शी	सहायक विधि परामर्शी के पद पर 3 वर्ष

विधि सेवा में कनिष्ठ विधि अधिकारी के रूप में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता विधि स्नात्तक है अर्थात विधि सेवा में प्रवेश के लिए सामान्य स्नात्तक के साथ-साथ विधि स्नात्तक होने के लिए तीन वर्ष का अतिरिक्त समय लगता है। सामान्यतः विधि अधिकारियों की भर्ती भी नियमित अंतराल से नहीं हो पाती है। इस कारण से विधि सेवा में प्रवेश भी लगभग 30 से 40 वर्ष की उम्र में ही हो पाता है। चूंकि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा सभी सेवाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 40 वर्ष कर दी गई और 40 वर्ष की उम्र में सेवा में प्रवेश करने वाले अधिकारीगण की कुल सेवा अवधि 20 वर्ष ही शेष रहती है। वर्तमान में उप विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु सहायक विधि परामर्शी के पद पर 3 वर्ष का अनुभव निर्धारित है।

पूर्व पदोन्नति वर्ष 2024-25 के पश्चात् उप विधि परामर्शी के पद हेतु सहायक विधि परामर्शी के पद पर 3 वर्ष का अनुभव निर्धारित होने के कारण किसी भी अधिकारीगण की उप विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति नहीं की गयी है। उक्त वर्ष 2024-25 में उप विधि परामर्शी के 120 पदों को आधार मानते हुए पदोन्नति की गयी थी। उसके पश्चात् राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 में सृजित नवीन 9 जिलों को समाप्त कर दिये जाने के पश्चात् वर्तमान में लगभग कुल 111 पदों को आधार मानते हुए वर्ष 2026-27 में पदोन्नति की संभावना बनती है।

इसी क्रम में उल्लेख है कि वर्तमान में विधि विभाग द्वारा दिनांक 08.04.2026 को वरिष्ठता सूची जारी की गयी, जिसमें उप विधि परामर्शी के पद पर 70 अधिकारी कार्यरत है एवं वर्ष 2026-27 में वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, सयुक्त विधि परामर्शी एवं उप विधि परामर्शी के पदों को सम्मिलित करते हुए 18 अधिकारीगण सेवानिवतृ भी हो रहे है। उक्त के पश्चात् कुल 52 पद पर उप विधि परामर्शी पद के अधिकारीगण ही कार्यरत रहेंगें। इस क्रम में अनुरोध है कि कुल 111 पदों में से 59 पद रिक्त रहेंगें जो कुल पदों का 50 प्रतिशत से अधिक है।

श्रीमानजी उप विधि परामर्शी पद जिला स्तर पर उच्च स्तर का पद है। वर्तमान परिस्थितियों के कारण जिला कलेक्टर कार्यालय एवं अन्य निदेशालयों/विभागों में उप विधि परामर्शी के 59 रिक्त पदों का होना राज्य सरकार के स्तर पर राजकीय वादकरण संबंधी समस्त कार्य, निर्वचन एवं विधिक मामलों में राय संबंधी कार्य में रूकावट होना राज्य के हित में न्यायोचित नहीं है।

उल्लेखनीय है कि संदर्भित कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 07.01.2020 के अनुसार प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुभव में शिथिलन हेतु उन्हीं प्रकरणों को प्रेषित किया जावें जिनमें चालू डीपीसी वर्ष में सेवानिवृत्ति/पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से उपलब्ध होने वाली रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए 50 प्रतिशत या उससे अधिक रिक्तियां उपलब्ध हों एवं अनुभव में एक तिहाई अवधि के शिथिलन उपरान्त निम्न पद पर न्यूनतम एक तिहाई या अधिक कार्मिक कार्यरत रहें।

साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कुल सहायक विधि परामर्शी के पद पर कुल 83 अधिकारीगण ही पदस्थापित है, जो उक्तानुसार पदोन्नति उपरांत शिथिलन दिये जाने पर निम्न पद सहायक विधि परामर्शी पर न्यूनतम पद के एक तिहाई अधिकारीगण कार्यरत रहेगें।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व मे भी राजस्थान राज्य की सभी सेवाओं में उक्त सन्दर्भित परिपत्र दिनांक 21.06.2022 द्वारा शिथिलन हेतु परिपत्र दिनांक 07.01.2020 में विहित 50 प्रतिशत पदों की रिक्तता एवं शिथिलन उपरांत निम्न पद पर एक तिहाई कार्मिक कार्यरत रहने की बाध्यता को हटाया गया।

अतः राज्य हित में उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अनुरोध है कि सहायक विधि परामर्शी के पद से उप विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2026–27 की नियमित विभागीय पदोन्नति समिति हेतु सहायक विधि परामर्शी के पद से उप विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में 1 वर्ष का शिथिलन दिये जाने बाबत् पत्रावली कार्मिक विभाग को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करावें।

सादर।

संलग्न :– 1. राज्य विधि सेवा की दिनांक 01.04.2026 की स्थिति में विधि अधिकारियों की वरिष्ठता सूची की प्रति।
2. वर्ष 2026–27 की सेवानिवृत्त विधि अधिकारीगण की सूची प्रति।
3. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 07.01.2020 एवं दिनांक 21.06.2022 की प्रतियां।

भवदीय

(आशा शर्मा)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद